यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
सीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः–201/2018 प्रार्थना पत्र
श्री गोपी पिता पोखर गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
मीठू पिता पोखर गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
औंकार पिता पोखर गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला, रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
बाली पुत्री पोखर गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
चांदी पुत्री पोखर गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
रामू पत्नि पोखर गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——————प्रार्थीगण

बनाम

श्री लादू पिता नंदा गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री कजोड़ पिता भैरू गाडरी, उम्र बालिग निवासी जाटो का मोहल्ला, रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
श्री रामचन्द्र पिता भैरू गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला, रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
प्यारी पत्नि भैरू गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
भगवान पिता रूपा गाडरी, उम्र बालिग निवासी जाटों का मोहल्ला, रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
अमरचन्द्र पिता बख्तावर जाट, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला–रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
महादेव पिता किशना जाट, उम्र बालिग निवासी बडें मंदिर के पीछे रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
देवी पिता किशना जाट, उम्र बालिग निवासी बडे मंदिर के पीछे, रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
धूकल पिता नारायण गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला, रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
–बालू पिता गोकल बलाई, उम्र बालिग निवासी बलाई मोहल्ला रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः–30.01.2019

:: नि र्ण य ::

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–जस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूपाहेली ट्वार हल्का रूपोहली भू–अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी /1 रकबा 1 बिस्वा, 75 रकबा 7 बिस्वा, 144/1 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, 331 रकबा 3 बिस्वा, 364 कबा 5 बिस्वा, 428 रकबा 9 बिस्वा, 1801/2 रकबा 10 बिस्वा, 1809 रकबा 06 बिस्वा, 1811/2 कबा 5 बिस्वा, कुल किता 9 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण वादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह हीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने ाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः र्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.7.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल त्रावली किये गये । विपक्षीगण उपस्थित नहीं । विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण 16.1.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते
जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय,
काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने
एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956
। स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपोहली भू–अभिलेख निरीक्षक दांथल
व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी 74/1 रकबा 1 बिस्वा, 75 रकबा 7 बिस्वा, 144/1
बीघा 09 बिस्वा, 331 रकबा 3 बिस्वा, 364 रकबा 5 बिस्वा, 428 रकबा 9 बिस्वा, 1801/2
0 बिस्वा, 1809 रकबा 06 बिस्वा, 1811/2 रकबा 5 बिस्वा, कुल किता 9 रकबा 3 बीघा 15
मि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये
लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 400/–रूपये ( चार सौ रूपये ) कमिश्नर फीस पर
नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा
पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये
ार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
या।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner